न्यायालय उप जिलाधकारी तहसील–सैदपुर, जनपद–गाजीपुर

वाद संख्या–31 / 10–02–2016   धारा–143 ज0 वि0 अधि0

मौजा–मिर्जापुर   परगना–बहरियाबाद

राजधारी सिंह स्मारक महाविद्यालय, प्रबन्धक–रामा सिंह

बनाम

राजधारी सिंह कालेज ऑफ फार्मेसी

निर्णय

प्रस्तुत वाद प्रबन्धक बिनीत सिंह पुत्र श्री रामा सिंह, राजधारी सिंह कालेज ऑफ फार्मेसी, ग्राम व पोस्ट–मिर्जापुर, तहसील–सैदपुर, जनपद–गाजीपुर द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि मौजा–मिर्जापुर, में स्थित भूमि गाटा संख्या–2589मि0 रकबा–2.7370 हे0, 9150.20 वर्गमीटर भूमि अकृषित भूमि है, जो एक गाटे में स्थित है। धारा–143 के अन्तर्गत इसे अकृषित घोषित किया जाय। इनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि विद्यालय के प्रयोग में लायी जा रही है। इस लिए तफतील आराजी को आबादी दर्ज करना न्यायोचित होगा। अन्त में निवेदन किया है कि नियम 135 के तहत मसतहत अधिकारियों से आख्या तलब कर तफतील आराजी को आबादी श्रेणी 6(2) दर्ज करने की कृपा करें।

इस सम्बन्ध में दिनांक 02–02–2016 को वाद दर्ज किया गया तथा तहसील–सैदपुर से जाँच आख्या देने हेतु उ0 न्यायालय द्वारा प्रतिलिपि जारी किया गया। जो राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थलीय जाँच कर अपनी आख्या पर लेखपाल दिनांक 03–02–2016 को दी गयी। राजस्व निरीक्षक द्वारा भू–लेख नियमावली की धारा–135(1) के अन्तर्गत नियत प्रोफार्मा पर अपनी जांच आख्या प्रस्तुत की गयी कि गाटा संख्या–2589मि0 रकबा–2.7370 हे0, 9150.20 वर्गमीटर कागजात में राजधारी सिंह कालेज ऑफ फार्मेसी, ग्राम व पोस्ट–मिर्जापुर, तहसील–सैदपुर, जनपद–गाजीपुर, प्रबन्धक बिनीत पुत्र श्री रामा सिंह बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है, जो खाता खतौनी पर अंकित है। हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट दी गयी है कि उक्त रकबे में राजधारी सिंह कालेज ऑफ फार्मेसी स्थित है जिसे आख्या श्रेणी 6(2) कायम किया जा सकता है। इस वाद में किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी। मेरे द्वारा वाद व उसके अधिकार के तर्कों को सूना गया तथा पत्रावली पर तहसीलदार सैदपुर की आख्या दिनाक 18–02–2017 का अवलोकन किया गया। उक्त आराजी अकृषित प्रयोग में हो रही है। जिसे अकृषित घोषित किया जाना न्यायसंगत है। भूलेख अधिनियम की धारा 135(1) के अन्तर्गत गैर कृषित भूमि के सम्बन्ध में विवरण हल्का लेखपाल / राजस्व निरीक्षक व तहसीलदार सैदपुर द्वारा देते हुए संस्तुति की गयी है।

2....

आदेश

अतः तहसीलदार सैदपुर की आख्या दिनांक 18–02–2017 को स्वीकार करते हुए मौजा–मिर्जापुर के गाटा संख्या–2589मि0 रकबा–2.7370 हे0, 9150.20 वर्गमीटर जो राजधारी सिंह कालेज ऑफ फार्मेसी, ग्राम व पोस्ट–मिर्जापुर, तहसील–सैदपुर, जनपद–गाजीपुर के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है, को धारा–143 के अन्तर्गत अकृषित किया जाता है तथा उसे रूपया 9.93 के मालगुजारी में से मुक्त किया जाता है। परगना उक्त बरामद जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सत्य–प्रतिलिपि

दिनांकः–

कार्यालय उप जिलाधिकारी सैदपुर–गाजीपुर

(आर0वी0 वर्मा)
उप जिलाधिकारी, सैदपुर

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित व घोषित।

दिनांकः–

कार्यालय उप जिलाधिकारी सैदपुर–गाजीपुर

(आर0वी0 वर्मा)
उप जिलाधिकारी, सैदपुर

ATTESTED

जिला स्टाम्प अधिकारी
गाजीपुर